भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 16

सोमवार 22 जुलाई, 2024/31 आषाढ़, 1946 (शक)

गिग और प्लेटफार्म कर्मचारियों का आकलन

16. श्री सुब्बारायण के. :
श्री सेल्वाराज वी. :

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास गिग और प्लेटफार्म वर्कर्स का कोई आकलन है;
(ख) यदि हां, तो देश में गिग और प्लेटफार्म वर्कर्स का राज्य और क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;
(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;
(घ) क्या सरकार का इस प्रक्रिया को प्रारंभ करने का कोई प्रस्ताव है; और
(ङ) यदि हां, तो इसे कब तक संपन्न किए जाने की संभावना है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा करांदलाजे)

(क) से (ग): सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 में पहली बार 'गिग वर्कर्स' और 'प्लेटफॉर्म वर्कर्स' की परिभाषा दी गई है।

नीति आयोग द्वारा जून 2022 में प्रकाशित "इंडियाज बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी" नामक रिपोर्ट के अनुमान के अनुसार, देश में गिग वर्कर्स और प्लेटफॉर्म वर्कर्स की संख्या वर्ष 2020-21 में 7.7 मिलियन थी, जिसके 2029-30 तक बढ़कर 23.5 मिलियन होने की संभावना है।

(घ) से (ङ): सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 की धारा 113 में असंगठित कामगारों, गिग वर्कर्स और प्लेटफॉर्म वर्कर्स के पंजीकरण का प्रावधान है। संहिता के प्रावधान अभी प्रभावी होने हैं।

*****